



UPSB010023472026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र
पीठासीन—राम सुलीन सिंह, एच0जे0एस0—यू.पी.1886
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या—1042/2026

अभय कुमार उम्र करीब 27वर्ष पुत्र समाकान्त उर्फ श्यामकान्त जायसवाल,
निवासी ग्राम सलखन बाजार, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

—: आदेश :-

05.06.2026

आवेदका/अभियुक्त अभय कुमार की ओर से अ0सं0— 173/2026
धारा—352, 351(3), 109(1), 115(2) बी0एन0एस0, थाना चोपन, जिला सोनभद्र के
मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश हुआ।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेश पत्रक पर “
प्रार्थना पत्र पर कोई बल नहीं देना है” का पृष्ठांकन किया गया है।

चूंकि आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेश पत्रक
पर “ प्रार्थना पत्र पर कोई बल नहीं देना है” का पृष्ठांकन किया गया है। अतः
बल न दिए जाने के कारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक—05.06.2026

(राम सुलीन सिंह)
सत्र न्यायाधीश
सोनभद्र